भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2289
(15 मार्च, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

उत्तर पूर्व क्षेत्र में डीडीयू-जीकेवाई (दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना)

2289. श्री सी. लालरोसांगाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की विशेषताएं क्या हैं;
(ख) यह किस तरह से ग्रामीण गरीब परिवारों की मदद और ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा कर रही है;
(ग) उत्तर पूर्व में इसके प्रदर्शन का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अपने प्रदर्शन के बारे में कोई विशेष अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) जो 15-35 वर्ष के आयुवर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है, का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा सितंबर, 2014 से किया जा रहा है। डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देश 50 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और 15 प्रतिशत निधियां अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत संबंधित श्रेणियों में एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

(ख): डीडीयू-जीकेवाई ने गरीब ग्रामीण परिवारों के युवाओं के लिए नि:शुल्क कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराने में सहायता की है। डीडीयू-जीकेवाई अभी तक 616 रोजगार क्षेत्रों में ग्रामीण

युवाओं की महत्वकांक्षाओं के अनुसार कौशल का विकल्प प्रदान करता रहा है और ग्रामीण युवाओं को अपेक्षित और प्रासंगिक कौशल प्रदान करता है। डीडीयू-जीकेवाई में 70 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार उपलब्ध कराकर नियोजित किए जाने का प्रावधान है।

(ग): पूर्वोत्तर राज्यों में निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. लाख में)

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से फरवरी, 2022 तक पूर्वोत्तर राज्यों का कुल निष्पादन				
क्र. सं.	**पूर्वोत्तर राज्य**	**संचयी निष्पादन**		**रिलीज निधियां**
		प्रशिक्षण	**नियोजित**	(रु.लाख में)
1	अरुणाचल प्रदेश	138	43	2564.462
2	असम	54319	33126	37206.610
3	मणिपुर	2958	1049	7169.791
4	मेघालय	2633	1197	5295.093
5	मिजोरम	783	461	2681.588
6	नागालैंड	2323	901	6712.146
7	सिक्किम	920	414	2131.245
8	त्रिपुरा	6860	4210	7081.403

(घ): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए डीडीयू-जीकेवाई पर कोई विशेष अध्ययन नहीं कराया है। तथापि, नीति आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मूल्यांकन कराया है और एनआरएलएम के एक घटक के रूप में डीडीयू-जीकेवाई का मूल्यांकन किया गया था। डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम डिजाइन में परियोजना के निष्पादन की परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी, राज्य और केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी द्वारा त्रि-स्तरीय गहन निगरानी करने की व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए राज्य और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के कार्यक्रम कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा की जाती है।

*****